

भवन समन्वय समिति
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की

सं० सी०सी०बी० / ५९८ / पी-11 (दुग्ध उत्पाद)

दिनांक: मार्च १५, 2025

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की सी.सी.बी. द्वारा संचालित मैसों (आजाद, सरोजिनी, एवं विज्ञान भवन) में दिनोंक 01.04.2025 से 31.05.2025 तक के लिए दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद की आपूर्ति हेतु निविदा प्रपत्र।

फर्म का नाम व पता	
फूड लाइसेंस न०	
पैन न०	
मो० न०	
निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि	दि० 20/03/2025 (गुरुवार) को सांय 03-00 बजे तक
निविदा खुलने की तिथि व समय	दि० 20/03/2025 (गुरुवार) को सांय 03-30 बजे
निविदा जमा करने का स्थान	सी०सी०बी० कार्यालय, मेन बिल्डिंग, आई०आई०टी० रुड़की
निविदा खुलने का स्थान	सरोजिनी भवन मैस

Sl. No.	Item	Approximate Quantity	Brand	Unit per litre/Per kg.	Rates Without GST	GST%	Rates including GST	Rates in words including GST
1.	Standard Milk (6% Fat) in 6 Ltr. Packet	10000 Ltr.						
2.	Standard Milk (3% Fat) in 6 Ltr. Packet	10000 Ltr.						
3.	Paneer 5 kgs. Packet	1400 Kg.						
4.	Amul Butter 100 gms. Packet	320 Kg.						
5.	Amul Butter lite 500 gms. Packet	220 Kg.						
6	Fresh Mawa	650 Kg.						
7	Fresh Cream	125 Kg.						

D-Bharat

ठेकेदार के हस्ताक्षर _____

नोट:-

1. भुगतान हेतु पक्का बिल ही मान्य होगा।
2. भुगतान केवल फर्म (मै0) के नाम पर ही होगा।
3. सभी खाद्य सामग्रियों की तौल में बैग का वजन सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
4. टेन्डर में सामग्रियों जिस यूनिट में है मूल्य भी उसी यूनिट में भरे जाने चाहिए।
5. सभी वस्तुएं उत्तम क्वालिटी की होनी चाहिये।
6. नये आपूर्तिकर्ताओं को खरीद आदेश (PO) प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर सी.सी.बी. कार्यालय में धरोहर राशि जमा कराना तथा पंजीकरण करवाना आवश्यक हैं।

नियम व शर्तें :-

1. सभी निविदायें मुहरबन्द लिफाफे में अध्यक्ष, भवन समन्वय समिति, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की के नाम होनी चाहिए। खुला निविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. केन्द्रीय क्रय अधिकारी/अध्यक्ष, भवन समन्वय समिति को यह अधिकार सुरक्षित है कि निविदा का कोई अंश अथवा समस्त भाग निरस्त कर सकते हैं। उसके लिये कोई कारण बताना अनिवार्य नहीं है।
3. उपरोक्त तिथि एवं समय के पश्चात् कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
4. टेण्डर में कटिंग व ओवर राइटिंग न करें, कटिंग होने पर दोबारा साफ-साफ लिख कर अपने हस्ताक्षर करें अन्यथा टेण्डर निरस्त भी किया जा सकता है।
5. ठेका एक से अधिक ठेकेदारों को दिया जा सकता है।
6. दरें 01.04.2025 से 31.05.2025 के लिए मान्य होंगी।
7. ठेका बिना कारण बताए किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।
8. आपूर्ति न कर पाने या आपूर्ति स्वीकृत सैम्पल के अनुसार न कर पाने की दशा में ठेकेदार की धरोहर राशि जब्त की जा सकती है तथा अन्य जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
9. दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद की दरें दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद को संस्थान की मैसों तक पहुंचाने व सभी करों सहित होनी चाहिए।
10. निविदा में दी गई दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद की मात्रा अनुमानित है तथा यह मात्रा 25% तक घट या बढ़ सकती है।
11. दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद का ठेका सी.सी.बी. द्वारा संचालित मैसों को मान्य होगा।
12. ठेकेदार को दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद की आपूर्ति सी.सी.बी. द्वारा संचालित मैसों में उनकी आवश्यकतानुसार समय पर करनी होगी।
13. बिल का भुगतान सम्बन्धित मैसों द्वारा किया जायेगा। भुगतान हेतु बिल सामान के साथ ही प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
14. अध्यक्ष, भवन समन्वय समिति का निर्णय अन्तिम तथा सर्वमान्य होगा।
15. नये आपूर्तिकर्ताओं को खरीद आदेश (PO) प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर सी.सी.बी. कार्यालय में धरोहर राशि जमा कराना तथा पंजीकरण करवाना आवश्यक हैं।
16. सप्लायर द्वारा निविदा में दी गई दरों को स्वीकृत किए जाने पर 01/04/2025 से 31/05/2025 के मध्य दरों में किसी भी प्रकार की वृद्धि किया जाना सम्भव नहीं होगा।
17. संस्थान की मैसों में आपूर्ति करने हेतु आने-जाने के लिए संस्थान के सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा तथा प्रवेश हेतु पास बनवाने की प्रक्रिया सप्लायर द्वारा किया जाना होगा।

ठेकेदार के हस्ताक्षर _____

निविदा जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक: _____

D. Bharat
केन्द्रीय क्रय अधिकारी,
भवन समन्वय समिति